सरवरक

कायदा (129)

{General Rules (Civil), 129, Appendix 'B' Form. No. 8}

1. अदालत उपखण्ड अधिकारी मण्डफिया रींगस
2. किस्म मुकदमा अपील
3. उनवान मुकदमा दीपक V/s नाथूलाल वगैरह
4. नम्बर व सन् मुकदमा 7/24
5. तारीख दायरा
6. तारीख फैसला
7. तारीख दाखिल होना मुहाफिजखाना
8. अपील या निगरानी की तारीख फैसला कुल पृष्ठ - 108
9. किस्म मिसल या हिस्सा
10. किस्म रिकॉर्ड
11. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है
   (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया है
12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है
   (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया है
13. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है
   (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया है
14. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना है
   (ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया है

पेशी तारीख

(46) 06/05/24
(7) 24/6/24
(47) 29/07/24
22/8/24
मिसल तलब
05/08/24
(199) 13/08/24
(202) 16/08/24
(363) 20/08/24
(209) 22/08/24
02/09/24
5/9/24

वकील वादी
दीपक बाजिया
9929498088

रामरतन बिजारणिया
वकील प्रतिवादी

FORM NO. 111

फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम रींगस (सीकर)

उनवान दीपक बनाम नाथूलाल वगै0

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अपील मुकदमा नं. 7 सन् 2024

①

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुये
12.04.2024	अपीलार्थी की ओर से वकील **श्री दीपक बाजिया** ने प्रा. पत्र अपील पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी। प्रा. पत्र अपील दर्ज रजिस्टर किया जावे। रेस्पोडेन्ट को जरिये रजि. एडी नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली 06.05.2024 को पेश हो।	
06/05/24	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित / अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24/06/24 को पेश हो।	
24/06/24	वकील अपीलान्ट हाजिर। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से वकील श्री हेमन्त सोगानी तथा श्री रामावतार किलानिया ने वकालतनामा पेश किया। शामिल रहे। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब रेस्पोडेन्ट सं. 1 तथा अन्य से तलबी हेतु दिनांक 29/07/24 को पेश हो।	
29/07/24	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरिकेन उपस्थित / अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22/08/24 को पेश हो।	
…/08/24	रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से वकील श्री	

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	
	रघुनाथ सिंह शेखावत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC तथा वकालतनामा पेश किया। सम्बंधित पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/08/24 को पेश हो। रेस्पोंडेन्ट नं0 2 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/08/24 को पेश हो।
13/08/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री दीपक शर्मा हाजिर। रेस्पोंडेन्ट नं0 1 की ओर से वकील श्री रघुनाथ सिंह शेखावत हाजिर। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलान्ट की ओर से वकील श्री दीपक शर्मा ने जवाब प्रार्थना पत्र 151 CPC पेश किया। प्रकरण में ग्राम बीगास के नामान्तरण नं0 349 दिनांक 04/10/1970 का मूल रिकॉर्ड नगर पालिका कार्यालय बीगास से संबंधित होने से उपरोक्त नामान्तरण व मूल रिकॉर्ड प्रकरण में निस्तारण हेतु पेश दिनांक 16/08/24 तक, तहसील कार्यालय वास्ते प्रार्थना पत्र 151 CPC व मूल रिकॉर्ड हेतु जारी दिनांक 16/08/24 को पेश हो।
16/08/24	पत्रावली पेश हुई। नामान्तरण सं0 349 दिनांक 04/10/1970

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (सीकर)

राजेन्द्र कुमार ... 3.40

ख	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुये
	हेतु रिकार्ड मंगवाने हेतु जारी तहरीर का जवाब नगरपालिका रींगस से प्राप्त हुआ। जिसमें उक्त नामान्तरण व मूल रिकार्ड नगरपालिका रींगस में उपलब्ध नहीं होना पत्र में अवगत कराया गया है अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज सत्यादी के आधार पर ही कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। व उभय पक्षकारान अधिवक्ता को अवसर दिया जाता है। की ~~यदि~~ यदि आपके पास उक्त रिकार्ड संबंधी सूचना व सत्यप्रतिलिपि है तो न्यायालय को उपलब्ध करवाये। बहस प्रा० पत्र 151 CPC पर सुनी गई दौरान बहस वकील रिस्पोन्डेन्ट सं० 1 ता 5 (द्वारा प्रस्तुत) प्रा० पत्र 151 CPC में वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये प्रा० पत्र 151 CPC स्वीकार करने तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रा० पत्र मय हरजे-खर्चे खारिज करने संबंधी निवेदन किया व प्रा० पत्र 151 CPC को ही नामान्तरण अपील मय जवाब व अंतिम बहस मान लिये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं० 1 ता० 05 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट की तरफ से प्रस्तुत जवाब प्रति पूर्व में दिलायी जा चुकी है जो शामिल पत्रावली है। वकील अपीलान्ट श्री दिपक वाजिया ने एक प्रा० पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि रिस्पोन्डेन्ट सं० 01 ता० 14 को अपीलान्ट के विरुद्ध फ्राड्-न	

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	कोई वकील नहीं है इनके विरुद्ध अपीलान्ट कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अतः इनका नाम अदमु से हजफ किये जाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी अपीलकर्ता 01 ता. 05 द्वारा आपत्ति जाहिर की गई व 03 ता. 14 का नाम हजफ किये जाने के निवेदन को न्यायालय स्वीकार करता है। इसके उपरान्त भी रिपक वाजिया के प्रा० पत्र 151 CPC का प्रस्तुत शुदा आकाश को ही वहस समाप्त जाकर प्रा० पत्र 151 CPC को खारिज करने व अपील अपीलान्ट को स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। रिस्पोन्डेन्ट सं० 06 ता. 08 की तलबी शेष व अपीलान्ट पेश करे तलब जारी है। विधिक कार्यवाही हेतु दिनांक 20/08/24 को पेश हो। उपजिलाधिकारी
20/08/24	पत्रावली पेश हुई। व पक्षकारान् उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट सं० 6 से 8 की तामील होकर लौट आई है। आवाज लगवाई गई। रेस्पोन्डेन्ट 6 से 8 उपस्थित नहीं आये अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है व पत्रावली आदेशार्थ दिनांक 22/08/24 को पेश हो।

(7)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	प्रस्तुत हो।	
22/08/24	पत्रावली पेश हुई। पेशकार उपस्थित। समय अभाव में निर्णय नहीं लिखवाया जा सका अतः वास्ते निर्णय लेखन दिनांक 02/09/24 को पेश हो।	
	02/09/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उपस्थित / अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 05/09/24 को पेश हो।	
5/9/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंट की बहस सुनी जा चुकी है। मुताबिक बहस अधिवक्तागण एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। नामांतरण सं 349 दिनांक 5/10/1970 खारिज कर न्यायालय तहसीलदार सांगोद को निर्देशित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय जारी करें। निर्णय खुले इजलास पढ़कर सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सांगोद (कोटा)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस जिला सीकर

मु.न.71/2024

उनवान

1. दीपक पुत्र स्व.श्री कमलनयन टाक, जाति टाक, उम्र 45 वर्ष, हाल निवासी प्लिंथ नंबर 926, ओमेक्स सिटी, रींगस पैलेस, मैन 100 फीट रोड, फेज–1, अजमेर रोड, जयपुर

प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. नाथू लाल पुत्र गजानन्द, जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी वार्ड नम्बर 22, आजाद चौक के पास, रींगस, जिला सीकर।
2. श्रीमती ममता देवी पत्नी राजकुमार, जाति महाजन, निवासी रींगस, जिला सीकर
3. श्रीमती शीतल देवी पत्नी अरविन्द कुमार, जाति महाजन, निवासी 120 सी/2 SF&OLD GUPTA COLONY MODEL TOWN NORTH WEST DELHI
4. श्रीमती सुनिता देवी पत्नी अनिल, जाति महाजन, निवासी हाल मकान नम्बर 242, काली जनी गली, मोती बाजार, जम्मू।
5. श्रीमती सीता देवी पत्नी रमेश चन्द, जाति महाजन, निवासी रींगस, जिला सीकर
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रींगस, तहसील रींगस, जिला सीकर
7. उप–पंजीयक महोदय, रींगस, तहसील रींगस, जिला सीकर।
8. नगर पालिका मण्डल रींगस जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल रींगस, तहसील रींगस, जिला जयपुर

– अप्रार्थी / रेस्पोडेन्टस

उपस्थित अधिवक्ता–

1. प्रार्थी/अपीलान्ट – श्री दीपक बाजिया, एडवोकेट
2. अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स 1 ता 5 की ओर से – श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एडवोकेट
3. अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स 6 ता 8 की ओर से कोई उपस्थित नही

निर्णय दिनांक 05.09.2024

यह कि उपरोक्त उनवानी अपील प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा नामान्तरण संख्या 349 दिनांक 04.10.1970 जो कि ग्राम पंचायत रींगस जिला सीकर द्वारा तस्दीक कर प्रार्थी/अपीलान्ट एवं प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ता 14 के पूर्वाधिकारी स्व. भंवर सिंह पुत्र सूरज सिंह के स्वामित्व की आराजियात को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, के संबंध में प्रस्तुत कर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा इन अभिकथनों के साथ उक्त अपील प्रस्तुत की गई कि ग्राम रींगस, गत तहसील श्रीमाधोपुर, हाल तहसील रींगस, जिला सीकर में स्थित गत आराजी खसरा नम्बर 2794 रकबा 21 बीघा 9 बिस्वा भूमि जिसके बने हाल खाता संख्या 471 के हाल आराजी खसरा नम्बर 5588 रकबा 0.78 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 472 जिसके हाल खसरा नम्बर 5593 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5594 रकबा 1.30 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.33 हैक्टेयर, हाल खाता संख्या 1743 जिसके हाल खसरा नम्बर 5570 रकबा 3.300 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 3.300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी/अपीलान्ट एवं परफोरमा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस संख्या 9 ता 14 के हक पूर्वाधिकारी भंवर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह के नाम से गत राजस्व रिकार्ड में सन् 1970 से पूर्व दर्ज रही थी, उक्त भंवर सिंह द्वारा अपनी उक्त आराजीयात भूमि को किसी भी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण, उपहार पत्र, बख्शीशनामा आदि के जरिये किसी भी व्यक्ति को अथवा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कभी नहीं दी गई थी। किन्तु अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाथू लाल द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत उक्त वर्णित आराजीयात को बिना कोई दस्तावेजात पेश किये ही ग्राम पंचायत रींगस जो वर्तमान में समाप्त होकर नगरपालिका मण्डल रींगस गठित हो चुकी है से दिनांक 04-10-1970 को नामान्तकरण संख्या 349 अपने नाम से दर्ज करवा लिया तथा उक्त नामान्तकरण के आधार पर भूमियों को अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को अवैध रूप से हस्तान्तरित कर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम इन्द्राज करवा दिया गया, जिन हस्तान्तरणों का कोई विधिक महत्व नहीं है। जबकि भंवर सिंह द्वारा कभी भी भूमि को किसी भी प्रकार से अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नाथू लाल को विक्रय अथवा हस्तान्तरित नहीं की गई थी। पूर्व में प्रार्थी/अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण संख्या 349 की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि मौके पर आज भी प्रार्थी/अपीलान्ट व परफोरमा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस संख्या 9 ता 14 अपने अपने हिस्से पर स्व० भंवर सिंह के विधिक वारिसान होने के कारण काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। किन्तु पटवारी हल्का से अब प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा सम्पर्क कर जमाबन्दी प्राप्त करने पर प्रार्थी/अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण संख्या 349 एवं उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुये इन्द्राजातों की जानकारी हुई। कानूनन किसी भी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत पंजीबद्ध दस्तावेजात के जरिये ही किया जा सकता है, ना कि अपंजीकृत दस्तावेज के जरिये। यदि उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 349 का अवलोकन करे तो उपरोक्त नामान्तकरण के पर्चे के कॉलम नम्बर 16 में तथा कॉलम संख्या 14 में किसी भी दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया गया तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विधि

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

विरूद्ध रूप से उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 349 को अपने हक मे बिना किसी पंजीबद्ध दस्तावेज के ही तस्दीक करवा लिया जो बिना हक अधिकार के तस्दीक होने से निरस्तनीय है तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई कब्जा काश्त नही है तथा उक्त अपीलाधीन नामान्तरण को तस्दीक किये जाते समय किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज संलग्न नही किया गया जिस कारण उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 349 निरस्तनीय है। उपरोक्त अपील के साथ प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये गये।

यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त राजस्व अपील प्रस्तुत करने के उपरांत न्यायालय द्वारा अपील को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स को तलबी बाबत नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी. पी.सी. का प्रस्तुत किया गया तथा साथ ही शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र बाबत अपील मे शीघ्र सुनवाई किये जाने का प्रस्तुत कर मूल अपील की पत्रावली मे नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2024 मे शीघ्र सुनवाई किये जाने बाबत निवेदन किया गया तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 5 की ओर से न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. मे वर्णित उक्त आधारों के तहत कि उक्त अपील मियाद बाहर है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट का विवादित आराजियात पर कोई कब्जा काश्त नही है, ना ही गिरदावरियो मे ही उल्लेख है तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजियात की वर्ष 2012 मे पत्थरगढी करवायी गई तथा दिनांक 06.03.2013 को किसान क्रेडिट कार्ड भी अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे जारी किया गया तथा दिनांक 04.10.1970 के उपरांत प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के कब्जे के संदर्भ मे कोई मुकदमेबाजी व शिकायत नही की गई तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विवादित आराजियात मे से कुछ हिस्से को जरिये उपहार पत्र हस्तानान्तरित कर दी गई है जिस कारण प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र के संदर्भ मे प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री दीपक बाजिया द्वारा अनापत्ति जाहिर कर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर करते हुए मूल अपील को आगामी तारीख पेशी से तलब कर शीघ्र सुनवाई किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का लिखित मे जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि विवादित आराजियात को कभी भी प्रार्थी/अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी स्व. श्री भंवर सिंह द्वारा किसी भी पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये हस्तानान्तरित नही की गई तथा अपीलाधीन नामांतरण सं. 349 दिनांक 04.

उपखण्ड अधि...
शेरगढ़ (जोध...)

10.1970 बिना किसी दस्तावेज के तस्दीक होने से स्वयं मे ही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है तथा विवादित आराजियात पर प्रार्थी/अपीलान्ट सहित स्व. भंवर सिंह के विधिक वारिसान काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा अपीलाधीन नामांतरण सं. 349 के प्रथमतः अवलोकन से ही यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त नामांतरण बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के बिना ही तस्दीक किया गया है तथा चूंकी नामांतरण सं. 349 स्वयं मे ही त्रुटिपूर्ण है जिस कारण उक्त नामांतरण के आधार पर यदि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा विवादित आराजियात के किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरति किया गया है तो वह हस्तानान्तरण तथा उसके आधार पर तस्दीक अन्य नामांतरण स्वयं मे ही त्रुटिपूर्ण होने से प्राम्भतः ही शून्य है जिस आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 को विवादित आराजियात में कोई अधिकार प्राप्त नही होते, प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. को निरस्त किये जाने का निवेदन कर प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील को अंदर मियाद मानते हुए तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुये विलम्ब के संदर्भ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन कर प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतरण सं. 349 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

यह कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 द्वारा अपील के साथ संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस किये जाने का मौखिक निवेदन किया गया।

यह कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवायी प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा जरिय अधिवक्ता अनापत्ति जाहिर करने पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवायी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मूल अपील जिसमे कि आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.08.2024 नियत है को आज की तारीख पेशी में ली गई तथा प्रार्थी/अपीलान्ट व अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 की ओर से अपील, धारा 5 मियाद अधिनियम व 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में मौखिक बहस सुनी गई तथा पूर्व में मूल नामांतरण सं. 349 को तलबी बाबत नगरपालिका मंडल रींगस को जारी पत्र के संदर्भ में प्राप्त रिपोर्ट को शामिल पत्रावली कर मूल अपील में नामांतरण सं. 349 की संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपि को आधार मानते हुए उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
रींगस (सीकर)

(105)

यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा मौखिक बहस के दौरान मूल अपील में वर्णित अपील के आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामांतरण सं. 349 जो कि अचल कृषि भूमि के संदर्भ मे तस्दीक किया गया है के संदर्भ मे कोई भी पंजीबद्ध दस्तावेज उक्त अपीलाधीन नामांतरण को तस्दीक किये जाते समय अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत नही किया गया तथा कानूनन अचल सम्पति का निस्तारण सम्पति अंतरण अधिनियम मे वर्णित प्रावधानों के तहत बिना किसी पंजीबद्ध दस्तावेज के नही किया जा सकता है चूंकी अपीलाधीन नामांतरण बिना किसी पंजीबद्ध दस्तावेज के ही पंजीबद्ध फरमा दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है तथा उक्त त्रुटिपूर्ण नामांतरण के आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा विवादित आराजियात को किसी भी उपहार पत्र या अन्य प्रकार से हस्तानान्तरण किया गया है तो वह भी त्रुटिपूर्ण है जिस आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 5 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते तथा विवादित आराजियात पर आज भी प्रार्थी/अपीलान्ट सहित स्व. भंवर सिंह के विधिक वारिसान का कब्जा काश्त है तथा उक्त अपीलाधीन नामांतरण राज. भू राजस्व अधिनियम 1957 की धारा 121 के विपरीत होने से निरस्तनीय है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट को अपीलाधीन नामांतरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.02.2024 को हुई जिस पर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन नामांतरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अतिशीघ्र ही अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है तथा चूंकि अपीलाधीन नामान्तरण त्रुटिपूर्ण है तथा कानूनन त्रुटिपूर्ण नामांतरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील को प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षमा किये जाते हुए अंदर मियाद कानून मानकर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतरण सं. 349 को निरस्त किये जाने व उक्त त्रुटिपूर्ण नामांतरण के आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 5 के हक में त्रुटिपूर्ण हस्तानान्तरण के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे हुए इन्द्राजातो को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

यह कि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता मौखिक बहस कर निवेदन कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. मे उठाई गई आपत्तियों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त अपील मियाद बाहर प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम नामांतरण खुलने के उपरांत विवादित आराजियात में स्वयं के नाम विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया गया एवं उस पर इंजन स्थापित किया गया जिस पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं .1 का कब्जा काश्त रहा है जिसके कि द्वारा वर्ष 2012 मे सीमाज्ञान व पत्थरगढी भी करवायी गई तथा

उपखण्ड अधिकारी
शेगरा (सीकर)

(16)

दिनांक 06.03.2013 को किसान क्रेडिट कार्ड भी स्वयं के नाम से जारी करवाया गया तथा स्व. भंवर सिंह जो कि तत्कालीन सरपंच थे के द्वारा ही नामांतरण को तस्दीक किया गया है जिसके संदर्भ में कोई आपत्ति प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा पूर्व में नही की गई तथा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा उक्त नामांतरण के आधार पर ही विवादित आराजियात के कुछ भाग को जरिये उपहार पत्र हस्तानान्तरित कर दी गई है जिस कारण प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमायी जावे।

यह कि न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली अवलोकन के दौरान प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ संलग्न नामांतरण सं. 349 दिनांक 04.10.1970 की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जो कि स्वीकृत तथ्य है क्योंकि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 द्वारा उक्त नामांतरण को स्वीकृत किया गया है, यदि उक्त अपीलाधीन नामांतरण का अवलोकन करे तो ज्ञात होता है कि नामांतरण के पर्चे के कॉलम नंबर 16 में तथा कॉलम नंबर 14 में अपीलाधीन नामांतरण तस्दीक करने के संदर्भ में कोई दस्तावेज का उल्लेख नही किया गया है, ना ही अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 की ओर से दौराने बहस ऐसा कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया है जो कि स्व. भंवर सिंह द्वारा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक में विवादित आराजियात बाबत निष्पादित किया गया। कानूनन सम्पति अंतरण अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत किसी भी अचल सम्पति का हस्तानान्तरण की संविदा लिखित में तथा पंजीबद्ध होनी चाहिये यदि वास्तविकता में प्रार्थी/अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी जो कि विवादित आराजियता के खातेदार काश्तकार थे स्व. भंवर सिंह द्वारा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 को हस्तानान्तरित की जाती तो इस संदर्भ में लिखित में संविदा अवश्य की जाती जिसका कि पंजीयन भी करवाया जाता किन्तु ऐसी किसी संविदा का उल्लेख अपीलाधीन नामांतरण को तस्दीक किये जाते समय उपरोक्त अपीलाधीन नामांतरण के प्रस्तुत पर्चे के कॉलम नंबर 14 व 16 में नही है, ना ही कोई दस्तावेज के संलग्न होने की रिपोर्ट ही अपीलाधीन नामांतरण में की गई है चूंकि स्व. भंवर सिंह विवादित आराजियात के मूल खातेदार रहे हैं ऐसी स्थिति में बिना किसी दस्तावेज के यदि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में अपीलाधीन नामांतरण तस्दीक किया गया है तो वह प्रारम्भतः ही प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम-1957 के नियम-121 के उपनियम-04 तथा 05 के अनुसार नामान्तकरण निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रकिया का अनुसरण करने के प्रावधान बनाये गये हैं:-

उपखण्ड अधिकारी
शेखावाटी (सीकर)

प्रक्रिया	प्रावधान
1	***The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.***
2	***The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,***
3	***the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,***
4	***what opportunity was given to him to present,***
5	***who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.***
6	***but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,***
7	***the facts which they deposed and the grounds of the order.***
8	***The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.***

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 की ओर से उपरोक्त अपील को मियाद बाहर होने के संदर्भ में तथा स्वयं के कब्जा काश्त होने तथा विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने तथा सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने तथा उपहार पत्र के जरिये कुछ भाग को हस्तानान्तरित करने का जो कथन किया है इस संदर्भ मे न्यायालय पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो अपील को प्रस्तुत करने मे हुई देरी बाबत प्रार्थी / अपीलान्ट की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसके खण्डन मे कोई जवाब अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 5 की ओर से शपथ पत्र सहित नही किया गया है तथा कानूनन यदि कोई नामांतरण अथवा राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि स्वयं मे ही त्रुटिपूर्ण है जो उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन नामांतरण के संदर्भ में अपील प्रस्तुत करने मे हुये विलम्ब बाबत धारा 5 मियाद अधिनियम मे उल्लेखित कारण सद्भावी, तर्कसंगत कारण है जिन पर अविश्वास करने का कोई आधार नही है तथा केवल मात्र विलम्ब के आधार पर ही किसी भी पक्षकार को न्याय से वंचित नही किया जा सकता जिस कारण सर्वप्रथम प्रार्थी / अपीलान्ट की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद कानून मानी जाती है, प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन नामांतरण सं. 349 दिनांक 04.10. 1970 के संदर्भ में अपील मे वर्णित आधारो के मध्यनजर उठाई गई आपत्तियां तर्कसंगत तथा विधि अनुरुप होने से तथा उक्त अपीलाधीन नामांतरण अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट सं.1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण रुप से तस्दीक किये जाने के मध्यनजर मनसूख किया जाता है तथा उक्त त्रुटिपूर्ण अपीलाधीन नामांतरण के

उपखण्ड अधि...
शेरगढ़ (...)

आधार पर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 ता 5 के हक में मूल नामान्तरण के उपरान्त किये गये इन्द्राजात मूल नामांतरण पर आधारित है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

अतः प्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील विधि सम्मत होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरण सं. 249 दिनांक 04.10.1970 जो कि ग्राम पंचायत रींगस, जिला सीकर द्वारा तस्दीक किया गया को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण माना जाकर मनसूख किया जाना विधिसम्मत होकर मनसूख किया जाता है। अतः उक्तानुसार भूमिधारी न्यायालय तहसीलदार रींगस, जिला सीकर को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड का सघन अवलोकन करें, उभयपक्षकरण को दस्तावेजी व अभिलिखित मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देवें, विधि की समुचित पालना करते हुए विवादित आराजियात के संदर्भ में विधिवत नवीन युक्तियुक्त आदेश पारित करें।

(दीपांशु सांगवान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी रींगस सीकर

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपांशु सांगवान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी रींगस सीकर